

और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा-ऋतु के दौरान मध्य प्रदेश के दुरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण हेतु प्रदान किए गए खाद्यान्नों के नाम क्या हैं तथा उनकी मात्रा कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या प्रदान किए गए खाद्यान्नों की सारी मात्रा को वर्षा के दौरान अगम्य क्षेत्रों में वस्तुतः पहुंचा दिया गया है ;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन खाद्यान्नों को उपलब्ध कराया गया है तथा उन्हें कब उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) इन क्षेत्रों को उपलब्ध कराए गए कुल खाद्यान्न में से मोटे अनाज की मात्रा कितनी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) राज्य में 1992-93 के दौरान उपभोक्ताओं के बीच वितरण के लिए मध्य प्रदेश को आवंटित चावल तथा गेहूं की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा हजार मी० टन में)

वस्तु	मात्रा
चावल	463.1
गेहूं	532.5

केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सहित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य के भीतर आगे और विवरण के लिए केवल थोक में आवंटन करती है। राज्य के भीतर अंतर-जिला अन्तः क्षेत्र आवंटन करने तथा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की हकदारी के मानदण्ड के बारे में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। खाद्यान्न किन स्थानों को उपलब्ध किए जाते हैं, इसका ब्यौरा केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन अनुपूरक स्वरूप का है और वह किसी भी राज्य की, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होता है।

खाद्य तेलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

12. श्री अजीत जोगी :

जोधरी हरि सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य-तेलों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार खाद्य-तेलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1989 में चार पक्षीय नीति के साथ एक एकीकृत नीति, जिसमें फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, मूल्य समर्थन सहित किसानों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है, तैयार की गई, ताकि तिलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में तिलहन नीति संबंधी एक शक्ति प्राप्त समिति, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव, सदस्य हैं,

उक्त नीति और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की परीक्षा करती है ।

किसानों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सरकार हर वर्ष कृषि, लागत व मूल्य आयोग की सिफारिश पर तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है ।

सरकार मुख्य रूप से आबादी के कमजोर वर्गों की खुले बाजार मूल्यों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य तेलों की भी आपूर्ति करती है ।

Bringing legal profession under Consumer Protection Act

13. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to bring the legal profession under the purview of Consumer Protection Act, 1986; and

(b) if not, what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) All services which are hired for a consideration, are covered under the Consumer Protection Act, 1986. As such, the services rendered by legal profession which are hired for a consideration are covered under the Act.

Strengthening of District Consumer Fora

14. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the District Consumer Fora have

not been able to devote much time to dispose of the pending work because the District & Session Judge who is also the Ex. Officio Presiding Officer of the District Consumer Forum is already overburdened with normal work;

(b) whether Government propose to appoint whole time Presiding Officers to these District Fora so that quick redressal may be given to the public;

(c) whether Government propose to strengthen these Fora with additional power to deal with such problems;

(d) if so, whether Government propose to bring a legislation in this regard; and

(e) if so, what are the salient features of the proposed legislation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) The responsibility of appointing Presidents of the District Forums rests with the respective State Governments. Recently, the Hon'ble Supreme Court in the matter of Civil Writ Petition No. 1141/88 has directed the State Governments to withdraw the sitting Judges in a phased manner and set up independent District Fora. These directions have been communicated to the State Government.

(c) to (e) Yes, Sir. Recently Government has promulgated the Consumer Protection (Amendment) Ordinance, 1993 which enables the State Governments to set up more than one District Forum depending on the work load, and confer additional powers on the Forums.

Need to standardise the consumer goods

15. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CON-